

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम, 1998

अधिसूचना क्र. 19-अठारह-3-98, दिनांक 1 मई, 1998*- छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख, 292-ग एवं 292-ङ सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख, 339-ग, एवं 339-ङ सहपठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा प्रसार- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम, 1998 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

(3) ये नियम छत्तीसगढ़ के समस्त नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायतों की सीमा एवं नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा घोषित प्लानिंग एरिया में प्रभावशील होंगे ।

2. परिभाषाएँ- इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है नगरपालिक निगमों की स्थिति में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों की स्थिति में छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

(ख) "कालोनाइजर" से अभिप्रेत है विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटी द्वारा पंजीकृत समिति, सहकारी समिति/संस्था या अन्य कोई पंजीकृत संस्था सहित ऐसा व्यक्ति या संस्था जो '[किसी कृषि भूमि सहित अन्य भूमि को भूखण्डों या सामूहिक आवास (ग्रुप हाऊसिंग) में विभाजित करने के प्रयोजन से] उस क्षेत्र का विकास करते हुए कालोनी की स्थापना का काम हाथ में लेने का आशय रखता है और ऐसे भूखण्डों को आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है और जिसका इन नियमों के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया गया हो;

(ग) "नगरपालिक क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जो कि किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की सीमा के भीतर आता हो ।²[और उसमें सम्मिलित होगा नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा घोषित ऐसा प्लानिंग एरिया, जो नगर पालिका सीमा से लगा हुआ हो;]

(घ) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है यथास्थिति नगरपालिक निगम, नगरपालिक परिषद् या नगर पंचायत;

(च) "अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)" से अभिप्रेत है भू-राजस्व संहिता, 1959 (सन् 1959 का क्र. 20) के अन्तर्गत नियुक्त अनुविभागीय अधिकारी;

1. अधिसूचना क्र. 13-अठारह-3-2000 दि. 3-7-2000 द्वारा प्रतिस्थापित । छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दि. 3-7-2000 को प्रकाशित ।

2. छ.ग. राजपत्र भाग-2, दिनांक 17-7-1998 में प्रकाशित, अधिसूचना क्र. 34-1893-अठारह-3-98, दिनांक 7-7-1998 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (छ) "भूखण्ड धारक" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो नगरपालिक क्षेत्र में कोई भूखण्ड, कालोनी निर्माण करने या किसी व्यक्ति से अंतरण के किसी विलेख के अधीन या अंतरण के किसी करार के अधीन धारण करता है;
- (ज) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों के संलग्न प्ररूप;
- ![(झ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसे नगरपालिक क्षेत्र के संबंध में जो किसी नगरपालिका निगम की सीमा में आता है, की स्थिति में नगरपालिक आयुक्त तथा ऐसे नगरपालिक क्षेत्र के संबंध में जो किसी नगरपालिका परिषद् की सीमा में आता है, की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं ऐसा नगरपालिक क्षेत्र जो किसी नगर पंचायत की सीमा में आता है, की स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व);]
- (ण) "आंतरिक विकास कार्य" से तात्पर्य कालोनी सीमा में निर्धारित मानक अनुसार किए जाने वाले निम्नलिखित विकास कार्यों से हैं :-
- (एक) समतलीकरण;
- (दो) प्रस्तावित मार्गों का एवं अभिन्यास में स्वीकृत भूखण्डों का सीमांकन;
- (तीन) प्रस्तावित मार्ग का निर्माण (आई.आर.सी. के मानक अनुसार);
- (चार) यदि कालोनी की भूमि में वर्तमान में मार्ग विद्यमान है उस दशा में कालोनी के स्वीकृत अभिन्यास के आधार पर उस मार्ग का निर्माण या चौड़ीकरण करना (आई.आर.सी. के मानक अनुसार);
- (पाँच) पुलियों का निर्माण (आई.आर.सी. के मानक अनुसार);
- (छह) प्रस्तावित नाली निर्माण यदि विद्यमान है तो वर्तमान नाली का केबलाईजेशन (पी.एच.ई. के मानक अनुसार);
- (सात) आंतरिक जलप्रदाय प्रणाली का क्रियान्वयन (पी.एच.ई. के मानक अनुसार);
- (आठ) आंतरिक सीवर लाईन का निर्माण (पी.एच.ई. के मानक अनुसार);
- (नौ) सेप्टिक टैंक का निर्माण (यदि प्रस्तावित है) (पी.एच.ई. के मानक अनुसार);
- (दस) आंतरिक विद्युत व्यवस्था में बिजली के खम्बे लगाना आदि (एम.पी.ई.बी. द्वारा निर्धारित मानक अनुसार);
- (ग्यारह) ओव्हर हेड टैंक का निर्माण;
- (बारह) कालोनी में प्रस्तावित खुले क्षेत्रों का विकास;
- (तेरह) मार्ग के किनारे वृक्षारोपण करना ।
- (त) "बाह्य विकास कार्य" से तात्पर्य निर्धारित मापदण्ड में निम्नलिखित विकास कार्यों से है—
- (एक) कालोनी सीमा से प्रारंभ होकर नगर के विद्यमान मार्ग तक कालोनी से पहुंच मार्ग के रूप में निर्मित किये जाने वाले नए मार्ग;
- (दो) यदि कालोनी के संलग्न वर्तमान मार्ग विद्यमान है उस दशा में विद्यमान मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण हेतु आने वाला व्यय;
- (तीन) कालोनी के लिए विद्युत प्रदाय करने हेतु कालोनी की सीमा से वर्तमान विद्युत लाईन तक लाईन का निर्माण कार्य;

(चार) भूमिगत मलवहन प्रणाली के अन्तर्गत कालोनी की सीमा तक वर्तमान प्रणाली से कालोनी की प्रणाली को जोड़ने हेतु व्यय;

(पाँच) यदि कालोनी में नगर स्तरीय जल प्रदाय प्रणाली से जल प्रदाय करना प्रस्तावित है उस दशा में कालोनी सीमा से वर्तमान पाईप लाईन तक नई पाईप लाईन बिछाने का कार्य;

[(छह) उपखण्ड (एक) के अधीन कालोनी के पहुंच मार्ग तथा उपखण्ड (दो) के अधीन विद्यमान मार्ग के चौड़ीकरण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया जाना आवश्यक होगा कि पहुंच मार्ग कितना चौड़ा किया जाना चाहिए तथा विद्यमान मार्ग के चौड़ीकरण के अधीन कितनी चौड़ाई से आशय है और यह कि ऐसे मार्ग के निर्माण की गुणवत्ता किस प्रकार की होगी अर्थात् यह डब्ल्यू.बी.एम. या स्फाल्ट का होगा या सीमेंट-कांक्रीट का होगा।]

(थ) "विकास व्यय लागत" से अभिप्रेत है खण्ड (ण) एवं (त) में उल्लिखित कार्यों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पूर्ण करने में आने वाला व्यय जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो;

(द) "कालोनी" से अभिप्रेत है ऐसी कालोनी जहाँ भूखण्ड का विभाजन अथवा उपविभाजन करते हुए मूलभूत सेवाएँ जैसे- सड़क, पानी, बिजली, जल-मल निकासी इत्यादि निवासियों को उपलब्ध करा दी गई हैं अथवा कराने की मंशा है, परन्तु ऐसे भूखण्ड जिनका विभाजन परिवार के सदस्यों के बीच किया जाता है वे इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।]

²["तथापि इसमें ग्रुप हाउसिंग तथा संयुक्त हाउसिंग के अधीन सन्निर्माण सम्मिलित है।"]

स्पष्टीकरण- परिवार से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में यथापरिभाषित परिवार।

3. कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण- (1) ³[ऐसा कालोनाइजर जो किसी नगरपालिका क्षेत्र जिसमें सम्मिलित होगा नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा घोषित ऐसा प्लानिंग एरिया जो नगर पालिका सीमा से लगा हुआ हो में,]

(एक) किसी भूमि को भूखण्डों में विभाजित करने के प्रयोजनों से उस क्षेत्र का विकास करते हुए कालोनी की स्थापना का काम हाथ में लेने का आशय रखता है;

(दो) ऐसे भूखण्डों को आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है;

द्वारा सक्षम प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण हेतु इन नियमों, के संलग्न प्ररूप-एक में आवेदन किया जावेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा—

(एक) नियम-4 में वर्णित रजिस्ट्रीकरण शुल्क ³[नगरपालिका कोष] में जमा करने के प्रमाण में रसीद की प्रति;

(दो) ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, की स्थिति में 5 लाख रुपये की बैंक गारंटी तथा ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम है, की

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दि. 3-7-2000 को प्रकाशित। अधिसूचना क्र. 13-अटारह-3-2000 दि. 3-7-2000 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दि. 3-7-2000 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. छ.ग. राजपत्र भाग-2, दिनांक 17-7-98 में प्रकाशित। अधिसूचना क्रमांक 34-1893-अटारह-तीन-98 दिनांक 7-7-98 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्थिति में एक लाख रुपये की बैंक गारंटी पंजीयन की पूरी अवधि के लिए होना अनिवार्य होगा;

1]परन्तु सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी की दशा में, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन के साथ, बैंक गारंटी देना आवश्यक नहीं होगा और बैंक गारंटी के बिना ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि आवेदन मंजूर कर लिया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा : परन्तु सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी इन नियमों के अधीन यथा विहित बैंक गारंटी, रजिस्ट्रीकरण की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की कालावधि के भीतर देगी अन्यथा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया समझा जाएगा।]

(3) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अमान्य किए जाने की स्थिति में उपनियम (2) के अधीन जमा किए गए रजिस्ट्रीकरण शुल्क की 20 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि 2[तथा] बैंक गारंटी आवेदनकर्ता को वापसी योग्य होगी।

(4) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अस्वीकृत करने की स्थिति में, उसके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जावेंगे तथा आवेदन पत्र को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने जैसी भी स्थिति हो, की कार्यवाही आवेदन पत्र की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। 3[***]

(5) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में इसकी अपील रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अमान्य किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा सकेगी।

(6) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र इन नियमों के संलग्न प्ररूप दो में जारी किया जावेगा तथा सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि इन नियमों या अधिनियमों में वर्णित निर्बन्धनों तथा शर्तों के अतिरिक्त भी अन्य शर्तें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंकित कर सकेगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए वैध होगा तत्पश्चात् नवीनीकरण योग्य होगा।

(8) किसी भी नगरपालिक क्षेत्र में प्रत्येक कालोनी के लिए पृथक्-पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं होगा।

(9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक 3 माह में रजिस्ट्रीकरण कालोनाइजर्स के नामों की सूची सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में नोटिस बोर्ड, कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर प्रकाशित की जावेगी।

4. रजिस्ट्रीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क- रजिस्ट्रीकरण शुल्क रु. 5,000/- (पाँच हजार रुपये) और नवीनीकरण शुल्क रु. 2,000/- (दो हजार रुपये) होगा, जिसे नगरपालिका कोष में जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी।

5. रजिस्ट्रीकरण हेतु नियोग्यताएँ- कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा पंजीयत समिति, सहकारी संस्था, अन्य कोई पंजीकृत संस्था की दशा में संस्था द्वारा निर्वाचित संचालक कालोनाइजर के रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा यदि-

(क) प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र में दी गई कोई जानकारी सही नहीं है, अथवा जानकारी अपूर्ण है,

(ख) आवेदक की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है।

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दि. 3-7-2000 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. छ.ग. राजपत्र भाग-2, दिनांक 17-7-98 में प्रकाशित। अधिसूचना क्रमांक 34-1893-अठारह-तीन-98 दिनांक 7-7-98 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. 13-अठारह-3-2000 दिनांक 3-7-2000 द्वारा विलुप्त। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-7-2000 को प्रकाशित।

- (ग) (एक) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153-क या धारा 171-ड या धारा 171-च या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का सं. 43) की धारा 125 के अधीन या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 28) की धारा 3 तथा 4 के अधीन या देश में प्रचलित किसी विधि के अन्तर्गत आने वाले संज्ञेय अपराध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छः वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो,
- (दो) भारत के किसी न्यायालय द्वारा—
- (1) उपखण्ड (एक) के अधीन न आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो और दो वर्ष से अन्यून कालावधि के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, या
- (2) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) के किन्हीं उपबन्धों के या जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का या खाद्य या औषधि अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छः वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो ।

स्पष्टीकरण-

- (क) “जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का उपबंध करने वाली विधि” से अभिप्रेत है कोई विधि या विधि का बल रखने वाला कोई आदेश, नियम या अधिसूचना जिसमें—
- (एक) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या निर्माण या विनियमन करने,
- (दो) ऐसी कीमत को, जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा, नियंत्रित करने,
- (तीन) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे, भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, उपयोग या उपभोग का विनियमन करने,
- (चार) साधारणतः विक्रय हेतु रखी गई किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोकने का प्रतिषेध करने का उपबंध है,
- (ख) “औषधि” का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) में उसके लिए दिया गया है ,
- (ग) “आवश्यक वस्तु” का वही अर्थ होगा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) में उसके लिए दिया गया है,
- (घ) “खाद्य” का वही अर्थ होगा जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 37) में उसके लिए दिया गया है,
- ¹[(घ)] पूर्व में यदि आवेदक के कालोनी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को नियम 7 या ¹[14] के अधीन रद्द किया गया हो ।
- ¹[(ड)] सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया गया हो ।

6. रजिस्टर का रखा जाना- सक्षम प्राधिकारी प्ररूप-तीन में एक पंजी रखेगा, जिसमें इन नियमों के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के संपूर्ण ब्यौरे और साथ ही वे निर्बन्धन या शर्तें जिनके अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर किया गया है, दर्ज किये जाएँगे और उसमें आवेदक का पूर्ण पता लिखा जाएगा, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पते में हुए किसी परिवर्तन की स्थिति में उसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा ।

7. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का रद्द किया जाना- सक्षम प्राधिकारी स्वयं या किसी स्रोत से प्राप्त जानकारी पर अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से रजिस्ट्रीकरण के किसी निर्बन्धन, शर्त या निर्बन्धनों या शर्तों या अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन होने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, रद्द कर सकेगा :

परन्तु कोई भी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक को सुने जाने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता है । रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के रद्द किये जाने के आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर इसकी अपील राज्य सरकार को की जा सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि कोई कालोनाइजर एक से अधिक कालोनियों का निर्माण करता है और उनमें से एक कालोनी का निर्माण विधिवत् करता है और दूसरी में कुछ अनियमितताएँ की जाती हैं तब इसके कारण रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस कालोनी में अनियमितताएँ पाई जाती हैं उन अनियमितताओं के संबंध में ही कार्रवाई की जाएगी :

परन्तु यदि यह पाया जाता है कि कालोनाइजर द्वारा बार-बार अनियमितताओं को दोहराया जाता है तब उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा ।

8. कालोनी के विकास के लिए आवेदन पत्र तथा अनुमति शुल्क- (1) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कालोनाइजर जब किसी कालोनी की स्थापना और उसके विकास का कार्य हाथ में लेना चाहता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-चार में उसके द्वारा कालोनी विकास का कार्य शुरू करने या भूखण्डों का विक्रय करने के लिए प्रस्तावित तिथि से कम से कम 90 दिन पूर्व आवेदन पत्र 'पांच प्रतियों में' उपनियम (2) में निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा ।

(2) कालोनी के विकास की अनुमति के लिए निम्नानुसार शुल्क देय होगा, जिसे कालोनाइजर द्वारा नगरपालिका कोष में जमा कर उसकी रसीद की सत्यप्रति उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगी—

(एक)	तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र	: रु. 10,000/- प्रति हेक्टर
(दो)	तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र	: रु. 4,000/- प्रति हेक्टर
(तीन)	नगरपालिका क्षेत्र	: रु. 2,000/- प्रति हेक्टर
(चार)	नगर पंचायत	: रु. 1,000/- प्रति हेक्टर

9. अनापत्ति प्रमाण पत्र का लिया जाना- (1) नियम 8 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित अनापत्तियाँ/अनुमतियाँ संबंधित विभाग/कार्यालय से प्राप्त की जावेगी—

- (क) शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत,
- (ख) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र,
- (ग) नजूल अधिकारी से,

(2) उपनियम (1) में वर्णित अनापत्तियाँ या अभिमत यदि सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त पत्र के पैंतालीस दिन की समयवधि में संबंधित विभाग नहीं देते हैं तब इसे उनकी स्वीकृति मानकर नियम 8 के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र का निराकरण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 90 दिन के भीतर किया जाएगा ।

(3) उपनियम (2) में वर्णित अवधि के उपरांत यदि सक्षम प्राधिकारी की ओर से आवेदन पत्र का निराकरण किये जाने की सूचना आवेदक कालोनाइजर को प्राप्त नहीं होती है, तो कालोनाइजर सक्षम प्राधिकारी को इस संबंध में लिखित में सूचना देगा । सूचना प्राप्ति के 30 दिन की अवधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति जारी नहीं किए जाने पर उस अवधि के उपरांत आवेदक कालोनाइजर को विकास अनुमति दी गई मानी जाएगी, परन्तु उक्त कालावधि की संगणना करने में आवेदक से कोई अतिरिक्त जानकारियाँ या दस्तावेजों के लिए अध्यपेक्षा करने की तारीख तथा आवेदक से ऐसी जानकारी या दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख के बीच की कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी । यह समझी गई अनुमति उस सीमा तक मान्य होगी जहाँ तक कि तत्समय प्रचलित किसी भी अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन न होता हो, अर्थात् तत्समय प्रचलित अधिनियम/नियम/उपविधि के अन्तर्गत ही समझी गई अनुमति मान्य होगी ।

1|10. आवासीय कालोनियों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए भूखण्ड/भवन की उपलब्धता-
2|नगरीय क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय कालोनी एवं समूह आवास में कालोनाइजर को प्रत्येक आवासीय कालोनी में कुल भूमि का 15 प्रतिशत क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित करना होगा, यह भूमि नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अथवा ऐसी संस्था को सौंपी जावेगी, जैसी कि राज्य सरकार निर्देश दे, संबंधित स्थानीय निकाय अथवा संस्था कालोनाइजर के उक्त 15 प्रतिशत भूमि के अविकसित भूमि की लागत मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करेगी । 15 प्रतिशत वही भूमि आरक्षित करना होगी, जो आवास निर्माण के लिए उपयुक्त हो, उक्त आरक्षित भूमि का संबंधित निकाय/संस्था द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने के पश्चात् ही अभिन्यास एवं विकास की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकेगी । यदि कोई कालोनाइजर 15 प्रतिशत आरक्षित भूमि के एवज में आश्रय शुल्क देना चाहता है तब उसे विहित दर से ऐसा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा :

(एक) भूमि का लागत विहित दिशा निर्देश के आधार पर कलेक्टर द्वारा अवधारित की जावेगी, परन्तु इस शुल्क की गणना उतने ही क्षेत्रफल के लिए होगी, जितना नगरीय स्थानीय निकाय प्राप्त करें ।

(दो) परन्तु कालोनाइजर को उस क्षेत्रफल के आवासीय कालोनी एवं समूह आवास में आश्रय शुल्क देने का विकल्प नहीं रहेगा, जिसमें कालोनाइजर २ (दो) हेक्टर या उससे अधिक की कुल भूमि विकसित करेगा ।]

1|परन्तु कालोनाइजर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए तत्समय प्रचलित नियमानुसार आरक्षित भूमि, नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत को सौंपी गई हो तथा जिसके मूल्य का नियमानुसार देय राशि का भुगतान संबंधित नगर पालिका द्वारा कालोनाइजर को नहीं किया गया हो और जो भूमि रिक्त हो, को उपरोक्तानुसार निर्धारित दरों पर आश्रय शुल्क जमा कर देने पर नगर पालिका द्वारा कालोनाइजर के पक्ष में अवमुक्त किया जा सकेगा :]

1. अधिसूचना क्र. 13-अठारह-3-2000 दिनांक 3-7-2000 द्वारा प्रतिस्थापित । छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-7-2000 को प्रकाशित ।
2. अधिसूचना क्र. एफ-4-342/18/2004, दिनांक 25-7-2008 द्वारा प्रतिस्थापित । छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-7-2008, पृष्ठ 411-412 पर प्रकाशित ।
3. अधिसूचना क्र. एफ-4-342/18/2004 दिनांक 14-7-2006 द्वारा अंतःस्थापित । छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14-7-2006 को प्रकाशित ।

1[परन्तु ऐसी कालोनियां जो राज्य शासन के अधीन किसी निकाय द्वारा समाज का जल्द जाय वग के लिए विकसित किया जाना हो, ऐसे बंधनों से मुक्त होंगे]]

2[(2) लुप्त]

3[(3) लुप्त]

3[(4) लुप्त]

3[(5) लुप्त]

3[(6) लुप्त]

(7) 4[नगर पालिक क्षेत्र के लिए संबंधित नगर पालिका का आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी आश्रय शुल्क संग्रहीत करेगा, जिसे एक पृथक् खाता खोलकर जमा किया जावेगा, जो संबंधित नगर पालिका के अधीन होगा तथा नगर पालिका क्षेत्र के बाहर किन्तु संबंधित नगर के निवेश क्षेत्र में स्थित क्षेत्र में आश्रय शुल्क जिला कलेक्टर संग्रहीत करेगा, जिसे एक पृथक् खाता खोलकर जमा किया जाएगा, जो कलेक्टर के अधीन होगा। उक्त खातों में जमा राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जावेगा]]

5[(8) लुप्त]

3[(9) लुप्त]

3[(10) लुप्त]

11. शहरी भूमि की उपलब्धता एवं अनुकूलतम उपयोग- जिस भूमि पर शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 लागू होता है, उस भूमि में कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए कुल विकसित क्षेत्रफल के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर विकसित क्षेत्र भूखण्ड के रूप में शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत घोषित सीलिंग अतिशेष भूमि के निर्धारित दर पर, राज्य शासन द्वारा विहित प्राधिकारी को उपलब्ध कराने एवं शेष भूमि पर राज्य शासन द्वारा अनुमोदित आवासीय योजना तथा निर्धारित शर्तों के अनुरूप आवासीय योजना क्रियान्वित करने हेतु धारक एवं सहकारी समितियाँ सहमत होते हैं तो उन्हें शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा छूट प्रदाय की जाएगी। राज्य शासन द्वारा योजना के अनुमोदन दिनांक से एक वर्ष की अवधि में योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ एवं तीन वर्ष की अवधि में उसे पूरा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित विकसित भूखण्ड लेने के अतिरिक्त, कमजोर आय वर्ग के लिए किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत कोई भूखण्ड नहीं लिये जाएंगे। उपरोक्त संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश लागू माने जावेंगे।

12. कालोनी के विकास कार्य की अनुमति दिया जाना- नियम 8 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नियम 9, 10 एवं 11 में वर्णित उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 5 में कालोनी के विकास की अनुमति दी जावेगी।

1. अधिसूचना क्र. एफ-4-343/18/2004 दिनांक 7-7-2005 द्वारा अन्तःस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8-7-2005 को प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-4-342/18/2004 दिनांक 3-11-2004 द्वारा विलुप्त। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-11-2004 को प्रकाशित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-1934/521/32/2003 दिनांक 24-9-2003 द्वारा विलुप्त। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26-9-2003 को प्रकाशित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-4-342/18/2004 दिनांक 14-7-2006 द्वारा प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14-7-2006 को प्रकाशित।
5. अधिसूचना क्र. एफ-4-342/18/2004 दिनांक 14-7-2006 द्वारा विलुप्त। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14-7-2006 को प्रकाशित।

1[(एक) कालोनाइजर द्वारा विकसित किये जाने वाले यथास्थिति भू-खण्डों या भवनों या फ्लेट्स में से कमजोर आय वर्ग के लिए सुरक्षित रखे गये यथास्थिति भू-खण्डों या भवनों या फ्लेट्स को छोड़कर शेष के पच्चीस प्रतिशत की संख्या में यथास्थिति भू-खण्डों या भवन या फ्लेट्स संबंधित नगरपालिका के पास बंधक रखना होगा, जो नियम 13 के उपनियम (2) के अध्यक्षीन रहते हुए कालोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर बंधनमुक्त किये जावेंगे तथा विक्रय हेतु कालोनाइजर को उपलब्ध होंगे। बंधक किये गये यथास्थिति भू-खण्ड या भवन या फ्लेट्स के क्रमांकों की सूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जावेंगी साथ ही ऐसी सूचना की प्रति सब-रजिस्ट्रार को भी भेजी जावेगी।

(दो) कालोनी के आंतरिक विकास पर व्यय की जाने वाली अनुमानित लागत के 2 प्रतिशत के बराबर राशि पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में कालोनाइजर द्वारा संबंधित नगरपालिका के कोष में जमा कराना होगा।

(तीन) कालोनी के रखरखाव हेतु नगरपालिका को हस्तांतरित करने के लिए नगरपालिका द्वारा निर्धारित मापदण्ड का पालन कालोनाइजर को करना होगा।

(चार) कालोनाइजर द्वारा कालोनी का विकास कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जावेगी। सूचना प्राप्त होने पर 15 दिन की समयावधि में संबंधित कालोनी के विकास कार्यों का निरीक्षण कर विकास कार्य पूर्ण पाये जाने की स्थिति में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक को ही संबंधित कालोनी रखरखाव हेतु नगरपालिका को अंतरित होना मान्य किया जावेगा।

(पाँच) कालोनाइजर कालोनी के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के आधार पर बाह्य विकास लागत राशि रुपये 10/-प्रति वर्ग मीटर की दर से नगरपालिका कोष में नगद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करेगा। राज्य सरकार इस दर को समय-समय पर पुनरीक्षित कर सकेगी।

2[परन्तु यदि कालोनाइजर विहित विनिर्देश के अनुसार कालोनी का बाह्य विकास स्वयं ही पूर्ण करता है तो कालोनाइजर द्वारा उक्त रकम को जमा करना आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु यह और कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में, जो नगर पालिक सीमाओं से लगा हुआ हो बाह्य विकास कार्य, विहित सन्निधय के अनुसार कालोनाइजर को ही करने होंगे, ऐसे मामलों में संबंधित कालोनाइजर से बाह्य विकास के लिए विहित की गई रकम को जमा करना अपेक्षित नहीं होगा।]

(छः) खण्ड (पाँच) के अनुसार राशि जमा हो जाने की तिथि से एक वर्ष की कालावधि में नगरपालिका द्वारा विकास कार्य पूर्ण कर कालोनाइजर को सूचित किया जावेगा।

2[(सात) कालोनाइजर को, कालोनी के विकास तथा निर्माण संबंधी कार्य के लिए नियुक्त श्रमिकों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ जैसे पीने का पानी, आश्रय, शौचालय आदि का प्रबंध करना होगा तथा ऐसी व्यवस्था किए जाने के पश्चात् ही कालोनी के विकास की अनुमति दी जा सकेगी।

(आठ) खण्ड (पाँच) के अधीन बाह्य विकास हेतु जमा की गई रकम को सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा। इस खाते से प्रत्याहरण केवल इस कालोनी के बाह्य विकास

1. छ.ग. राजपत्र भाग-2, दिनांक 17-7-98 में प्रकाशित। अधिसूचना क्रमांक 34-1893-अठारह-तीन-98 दिनांक 7-7-98 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दि. 3-7-2000 द्वारा अन्तःस्थापित।

कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा कलेक्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ही किया जाएगा।]

1[12-क. किसी कालोनी में भवन निर्माण की अनुमति-- किसी कालोनी में भवन निर्माण की अनुमति तभी दी जाएगी, जब सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित कालोनी में विहित सन्नियमों के अनुसार विकास कार्य पूर्ण हो गया है, परन्तु ग्रुप हाऊसिंग के मामले में ऐसी शर्त लागू नहीं होगी।]

13. कालोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की समयावधि-- (1) नियम 12 के अंतर्गत कालोनी के विकास की अनुमति जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर कालोनाइजर द्वारा आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा :

²परन्तु यदि कालोनी के विकास कार्य में कोई कमी या कमियाँ पाई जाती हैं तब ऐसी कमी या कमियों को दूर करने के लिए उक्त समय सीमा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृद्धि की जा सकेगी, जो अधिकतम एक वर्ष तक की कालावधि के लिए होगी।]

(2) यदि उपनियम (1) में निर्धारित समयावधि में कोई कालोनाइजर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करता है तब सक्षम प्राधिकारी कालोनाइजर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् कालोनी के आंतरिक विकास का कार्य अपने हाथ में लेकर विकास कार्य पूर्ण कराएगा और इस प्रकार कराए गए कार्य पर जो व्यय आएगा उसकी प्रतिपूर्ति नियम 12 के खण्ड (एक) के अधीन बंधक किए गए पच्चीस प्रतिशत भूखण्डों का विक्रय कर की जावेगी।]

14. नियम 12 का पालन न करने का प्रभाव-- यदि नियम 12 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त होने के पूर्व कोई कालोनाइजर कालोनी के विकास का कार्य प्रारंभ करता है या भूखण्डों का विक्रय करता है या विक्रय करने के लिए उद्यत होता है तब ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी ऐसे कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा और ऐसी कानूनी कार्रवाई कर सकेगा जो वह विधि के अधीन करने का विनिश्चय करे :

परन्तु इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे कालोनाइजर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता है :

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के कारण लेखबद्ध करना अनिवार्य होगा।]

2[14-क. 3[वैध] कालोनियों की सूची को सार्वजनिक किया जाना-- सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाचार-पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से सर्वसाधारण को यह सूचित किया जावेगा कि नगर में जो कालोनियाँ वैध रूप से अनुमोदित हो चुकी हैं उनकी सूची नगर के अमुक-अमुक स्थलों पर देखी जा सकती हैं। सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर वैध कालोनियों की सूची सार्वजनिक करेगा।]

15. कालोनियों का प्रबंध-- (1) यदि सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में कालोनाइजर द्वारा अवैध व्यपवर्तन के क्षेत्र में बनाए गए भूखण्डों के अंतरण किये जाने या अंतरण का करार किये जाने या अवैध तरीके से कालोनी बनाने का तथ्य आता है और यदि वह ऐसी भूमि के प्रबंध को अपने अधिकारों में लेना वांछनीय समझता है तो वह एक सूचना जारी करेगा और उसे कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें कम से कम एक हिन्दी भाषा का होना चाहिए, प्रकाशित करेगा और उक्त भूमि में हित रखने

1. छ.ग. राजपत्र असाधारण दि. 3-7-2000 द्वारा अन्तःस्थापित।]

2. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21-9-1998 में प्रकाशित। अधिसूचना क्र. 1-44-98-अठारह-3 दि. 21-9-98 द्वारा जोड़ा गया/अंतःस्थापित।]

3. छ.ग. राजपत्र भाग 2, दि. 16-10-1998 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ-1-44-98-अठारह-3 दि. 6-10-98।]

वाले सभी व्यक्तियों से, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह कारण बताने के लिए कहेगा कि उक्त भूमि का प्रबंधन उसके द्वारा अधिकार में क्यों न ले लिया जाए ।

(2) सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी सूचना के संबंध में या अन्यथा रूप में प्राप्त हुई आपत्तियों या सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसे किसी व्यक्ति से जिसने कोई आपत्ति उठाई हो, स्वयं या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा तथा सभी संगत दस्तावेजों के साथ मौखिक सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए कहेगा ।

(3) सुनवाई हेतु नियत तारीख को पक्षकारों को यदि वे उपस्थित हों, सुनने के बाद और मामले में आगे ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह उचित समझे, सक्षम प्राधिकारी—

(क) यदि उसे किसी अवैध व्यपवर्तन या उस पर अवैध रूप से कालोनी बसाने का पता चलता है तो वह भूमि का प्रबन्ध हाथ में ले सकेगा ।

(ख) यदि उसको इस बात से समाधान हो जाता है कि भूमि अवैध व्यपवर्तन या अवैध रूप से कालोनी बसाने के अध्यक्षीन नहीं है तो कार्यवाही बन्द कर सकेगा ।

(4) भूमि के प्रबंध हेतु अपने कर्तव्य के पालन में सक्षम प्राधिकारी अपने अधीनस्थ एक या अधिक अधिकारियों को संपत्ति के, उचित प्रबंध, सुरक्षा तथा परिरक्षण के लिए और जहाँ कहीं आवश्यक हो, उसका किराया और अन्य लाभ वसूल करने के लिए और संपत्ति के प्रबंध, सुरक्षा तथा परिरक्षण हेतु कोई वाद या अभियोजन या अन्य वैध कार्यवाही चलाने और उसका प्रतिवाद करने के लिए ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(5) जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि का प्रबन्ध हाथ में ले लिया गया हो, तब वह ऐसी भूमि के विकास और वैयक्तिक भूखण्डधारियों को यदि कोई हों, भूमि के आवंटन की योजना तैयार करवाएगा और इस प्रकार तैयार कराई गई योजना का प्रकाशन, सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उस रीति से, जैसी वह उचित समझे करेगा ।

(6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि के प्रबंध पर किए गए व्यय की राशि भूमि के विकास खर्च में शामिल की जाएगी और वह यथानुपात या किसी अन्य समुचित आधार पर उन व्यक्तियों से वसूल की जाएगी जिन्हें योजना के अधीन भू-खण्ड आवंटित किए गये हों ।

1[15-क. तारीख 2[31 दिसम्बर, 2005] तक अस्तित्व में आई अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासकीय भूमि पर से भिन्न तारीख 2[31 दिसम्बर 2005] तक अस्तित्व में आई अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए किया जाएगा—

(एक) ऐसी कालोनी अनधिकृत कालोनी के प्रवर्ग में मानी जाएगी, जो कालोनाइजर द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, शहरी भूमि अधिकतम सीमा, भूमि का व्यपवर्तन, नजूल तथा नगर पालिका से वैध अनुमति या अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना निर्मित कर ली गई हो ।

(दो) विकास योजना, मुख्य मार्ग, उद्यान खेल के मैदान, सांस्कृतिक आस्तियों के क्षेत्र, नदी, तालाब, नाले तथा हरित क्षेत्र या आमोद प्रमोद के क्षेत्र पर स्थित अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा ।

(तीन) केवल ऐसी अनाधिकृत कालोनियों का तभी नियमितीकरण किया जाएगा, जहाँ पर कम से कम 25 प्रतिशत भवनों के निर्माण के पश्चात् लोग निवास कर रहे हो । जहाँ केवल भूखण्ड

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दि. 3-7-2000 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. अधिसूचना क्र. एफ-4-342/18/2004 दिनांक 14-7-2006 द्वारा प्रतिस्थापित । छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14-7-2006 को प्रकाशित ।

विद्यमान हैं, वहां पर नियमितीकरण की कार्यवाही इन नियमों के नियम 15 के अनुसार की जाएगी ।

(चार) एक बार सक्षम प्राधिकारी, जिस अनधिकृत कालोनी के नियमितीकरण का कार्य हाथ में लेगा, उस कालोनी के संबंध में यह माना जाएगा कि उस कालोनी की भूमि का व्यपवर्तन हो चुका है और उसका उपयोग नगर के मास्टर प्लान के अनुसार है ।

(पांच) सक्षम प्राधिकारी, अनधिकृत कालोनियों की मूलभूत सेवाओं सहित विकास कार्य के लिए प्राक्कलन (इस्टीमेट) तथा अभिन्यास (ले-आउट) तैयार करवाएगा, जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित निवासियों तथा कालोनाइजर, यदि उपलब्ध हों, के साथ बैठक में चर्चा की जाएगी और चर्चा में जो सुझाव, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् प्राक्कलन तथा अभिन्यास को अंतिम रूप दिया जाएगा । अभिन्यास तैयार करने पर होने वाले व्यय की रकम, विकास शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक नियत की जाकर उसे विकास प्रभागों में सम्मिलित किया जाएगा ।

(छः) विकास कार्यों पर प्राक्कलित व्यय की रकम संबंधित कालोनी के भवनों/भू-खण्डों के अधिभोगियों से उनके अधिभोग में के भवन/भू-खण्ड के क्षेत्र के अनुपात में, विकास शुल्क के रूप में वसूल की जाएगी ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनी के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए तैयार किये गये अभिन्यास में यदि विधि के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खुला स्थान ऐसे क्षेत्र में प्लेट के सन्निर्माण तथा उनके विक्रय के लिए उपलब्ध हो तो सक्षम प्राधिकारी, ऐसी अपेक्षित खुली भूमि के मूल्य का प्राक्कलन करेगा और कालोनाइजर से ऐसे प्राक्कलित मूल्य की दुगुनी रकम वसूल करेगा ।

(सात) भवन/भूखण्ड के अधिभोगियों द्वारा विकास शुल्क की रकम जमा नहीं करने की दशा में ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी ।

(आठ) भवनों/भूखण्डों के अधिभोगियों से प्राप्त विकास शुल्क की रकम को सक्षम प्राधिकारी एक अलग बैंक खाते में जमा करेगा । इसी प्रकार भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की गई रकम को भी इसी खाते में जमा किया जाएगा । ऐसे खाते में प्रत्याहरण केवल संबंधित कालोनी के विकास कार्यों से संबंधित व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी और कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके अधीनस्थ अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ही किया जाएगा ।

(नौ) सक्षम प्राधिकारी विकास शुल्क का किस्तों में भुगतान अनुज्ञात कर सकेगा ।

(दस) अनाधिकृत कालोनी के नियमितीकरण की दशा में नियम 2 के खण्ड (त्र) तथा नियम 12 के खण्ड (पांच) के उपबंध बाह्य विकास कार्य के संबंध में लागू होंगे ।

(ग्यारह) ऐसी अनाधिकृत कालोनी, जिनमें भवन निर्मित किए गए हैं, वहां संबंधित नगरीय निकाय भवन स्वामियों से समझौता करने के पश्चात् भवन के ऐसे अनधिकृत सन्निर्माण को नियमित कर सकेगा । भवन स्वामी से भवन अनुमति शुल्क तथा समझौता प्रभार विधि के अनुसार वसूल किया जाएगा ।

(बारह) जहां कालोनाइजर ने विभिन्न अभिन्यास बनाने के पश्चात् भूखण्डों का एक से अधिक बार विक्रय किया है और यदि स्वामित्व का विवाद है तो ऐसे विवाद का निपटारा विधि के अनुसार सिविल न्यायालय में ही हो सकेगा । रजिस्ट्रीकृत विक्रय-विलेख तथा संराशीकरण को ही स्वामित्व का आधार माना जाएगा ।

(तेरह) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलन तथा अभिन्यास को अंतिम रूप देने के पश्चात् विकास कार्य तीन वर्ष की कालावधि के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि उक्त कालावधि के भीतर विकास कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो संबंधित निकाय, विकास कार्य पर उपगत होने वाले अतिरिक्त व्यय को वहन करेगा।

(2) यदि कोई अनधिकृत कालोनी ¹[31 दिसम्बर, 2005] के पश्चात् निर्मित की जाती है तो सक्षम प्राधिकारी उसे अनधिकृत सन्निर्माण मानकर उसे हटाने की कार्यवाही करेगा।

15-ख. अवैध कालोनियों में विद्युत तथा जलप्रदाय की व्यवस्था करना-- (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कालोनी के क्षेत्र में अपने भवन में विद्युत/जलप्रदाय संयोजन लेना चाहता है, वह यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292-घ या छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-घ के परन्तुक के अधीन प्रमाण पत्र के लिए प्ररूप-सात में शपथ-पत्र के साथ प्ररूप छः में आवेदन सक्षम प्राधिकारी को करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी कि वह उसके समाधान के लिए आवश्यक समझे, अवैध व्यपवर्तन या अवैध कालोनी में सन्निर्माण क्षेत्र में विद्युत/जलप्रदाय संयोजन उपलब्ध कराने में लोकहित में कोई आपत्ति नहीं है।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी का उपनियम (2) के अधीन ऐसी जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि विद्युत संयोजन/जलप्रदाय संयोजन उपलब्ध कराने में लोकहित में कोई आपत्ति नहीं है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए, कतिपय शर्तों या निर्बन्धनों के अध्वधीन रहते हुए प्ररूप आठ में विहित प्रमाण पत्र के रूप में उसे मंजूर कर सकेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त होने पर और कारणों को लिखित में अभिलिखित किए जाने के पश्चात् प्रमाण पत्र के किन्हीं भी निर्बन्धनों, शर्तों या निर्बन्धनों का उल्लंघन होने पर रद्द कर सकेगा :

परन्तु कोई भी प्रमाण पत्र तब तक रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक कि धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

(5) सक्षम प्राधिकारी प्ररूप नौ में एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें इन नियमों के अधीन जारी किए गए प्रमाण पत्र के व्यौरों तथा निर्बन्धनों, शर्तों और निर्बन्धनों को, जिनके अधीन प्रमाण पत्र जारी किया गया था, प्रविष्टियाँ की जाएंगी। आवेदक का पूरा पता उक्त रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उसके पते में परिवर्तन होने की दशा में प्रमाण पत्र का धारक सक्षम प्राधिकारी को उसकी सूचना देगा।

15-ग. अवैध कालोनी का सन्निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही- अवैध कालोनी का सन्निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार दण्ड की कार्यवाही की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति से वसूली योग्य राशि की वसूली की कार्यवाही भी की जाएगी

16. निरसन- इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से, इन नियमों के तत्स्थानी वे समस्त नियम तथा उपविधियाँ जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त हों, निरस्त हो जाएँगे :

परन्तु इस प्रकार निरसित किये गए नियमों तथा उपविधियों में से किसी भी नियम तथा उपविधि के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही जब तक ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के उपबंधों के असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

1. अधिसूचना क्र. एफ-4-342/18/2004 दिनांक 14-7-2006 द्वारा प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14-7-2006 को प्रकाशित।

प्ररूप-एक

[देखिए नियम-3 (1)]

रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,

1. नगरपालिक आयुक्त,
नगरपालिक निगम,
.....
 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
नगरपालिक क्षेत्र जिला
- कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु निम्न विवरण अनुसार आवेदन प्रस्तुत है :-
- (1) रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्धारित शुल्क रु. नगरपालिक निगम/नगरपालिका/
नगर पंचायत कोष में रसीद क्रमांक दिनांक (सत्यप्रति
संलग्न है) द्वारा जमा कर दिए गए हैं ।
 - (2) बैंक गारंटी रु. संलग्न है ।
 - (3) अन्य अपेक्षित ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
1. आवेदक का नाम तथा पूरा वर्तमान पता तथा स्थायी पता ।
 2. क्या आवेदक एक निजी व्यक्ति/निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/फर्म या संघ है ।
 3. यदि आवेदक—
 - (क) व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता,
 - (ख) निजी कंपनी है तो पंजीयन के स्थान सहित कंपनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता,
 - (ग) सार्वजनिक कंपनी है तो संचालकों की राष्ट्रीयता, भारत की राष्ट्रीयता वालों के द्वारा
धारित अंशपूँजी का प्रतिशत तथा निगमन का स्थान,
 - (घ) फर्म या संघ है तो फर्म या संघ के सभी भागीदारों की राष्ट्रीयता,
 - (ङ) संस्था (सोसायटी) है तो उसके ब्यौरे ।
 4. आवेदक का व्यवसाय या कारोबार का स्वरूप ।
 5. आवेदक के स्वामित्व की अचल और चल संपत्ति के ब्यौरे ।
 6. क्या उसने यह आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख के पूर्व कोई भूमि विकसित की है, यदि हां
तो उसके ब्यौरे दीजिए ।
 7. क्या आवेदक के पास कालोनी स्थापित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन हैं (पर्याप्त ब्यौरे
दीजिए)।
 8. क्या आवेदक को कभी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है ? यदि हां, तो ब्यौरे
दीजिए ।
 9. आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (पिछले वर्ष प्रस्तुत किये गये लेखे के विवरण की प्रति संलग्न
करें) ।
 10. संयुक्त हित, यदि कोई हो, का स्वरूप ।
 11. यदि आवेदक कार्यो का पर्यवेक्षण करना चाहता है तो उसके पिछले अनुभव का उल्लेख किया
जाए । यदि वह प्रबंधक नियुक्त करना चाहता है, तो प्रबंधक का नाम, उसकी अर्हताएँ, उसके

पिछले अनुभव का स्वरूप तथा सीमा का उल्लेख किया जाए और उसका सहमति पत्र संलग्न किया जाए ।

मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये ब्यौरे सही हैं और मैं/हम आपके द्वारा अपेक्षित अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ/हैं ।

भवदीय,

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर तथा पदनाम
तारीख

प्ररूप-दो

[देखिए नियम-3 1(6)]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

दिनांक रजिस्ट्रीकरण क्रमांक

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956/छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत, निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण 1[निर्बन्धन] तथा शर्तों) नियम, 1[1998] के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधधीन श्री/श्रीमती/मेसर्स
आत्मज निवासी मोहल्ला ग्राम/वार्ड
नगर तहसील जिला का एतद्वारा कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है ।

(1) यह पंजीयन नगर के निवेश क्षेत्र/पंचायत क्षेत्र/न.पा. क्षेत्र तक के लिए है ।

(2) प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना की सूचना कालोनाइजर को कालोनी स्थापना के पूर्व देना होगी ।

(3) प्रत्येक कालोनी के लिए विकास अनुमति/विकास कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी ।

सील

स्थान

दिनांक

टीप- कालोनी की स्थापना, विकास कार्य, कालोनी में भूखण्डों/भवनों का आवंटन या आवंटन करने के करार करने की पात्रता तब ही होगी जब कालोनी के विकास की अनुमति नियमानुसार प्राप्त कर ली जाती है ।

नगरपालिक आयुक्त

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्ररूप-तीन
(देखिए नियम-6)

पंजी

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तथा वर्ष
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक
3. उस व्यक्ति का नाम जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया.....
4. पिता का नाम
5. यदि फर्म कंपनी या संघ या संस्था (सोसायटी) है तो सभी भागीदार सदस्यों के नाम
6. वे निर्बन्धन, शर्तें तथा निर्बन्धन जिसके अध्वधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर किया गया
7. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने की तारीख और रद्द करने के संक्षिप्त कारण
8. नियम-8 के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र की तारीख
9. नियम 1[(12)] के अधीन दी गई अनुमति की तारीख

प्ररूप-चार

(देखिए नियम-8)

कालोनी के विकास के लिए आवेदन-पत्र

प्रति,

1. नगरपालिक आयुक्त,
नगरपालिक निगम,
.....
 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
नगरपालिक क्षेत्र जिला
- कालोनी के विकास की अनुमति हेतु निम्न विवरण अनुसार आवेदन प्रस्तुत है :-
1. आवेदक का पूरा नाम (क्या व्यक्ति फर्म, सहकारी संस्था या कोई अन्य वर्ग की संस्था, कंपनी है इसका उल्लेख करें)
 2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 1[का क्रमांक एवं दिनांक]
 3. वर्तमान पता
 4. सर्वे क्रमांक सहित उस भूमि के ब्यौरे जिसका विकास करना अपेक्षित है ।
 5. अधिकार जिसके अधीन आवेदक ने भूमि धारण की है ।
 6. आवेदक के स्वामित्व की अचल संपत्ति के ब्यौरे
 7. क्या उसने यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व कोई भूमि विकसित की है, यदि हां तो उसके ब्यौरे दीजिए।
 8. कालोनी की स्थापना हेतु वित्तीय साधनों के ब्यौरे
 9. क्या आवेदक को कभी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है ? यदि हां तो ब्यौरे दीजिए ।
 10. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :-

1. छ.ग. राजपत्र भाग-2, दिनांक 17-7-98 में प्रकाशित । अधिसूचना क्रमांक 34-1893-अठारह-3-98 दिनांक 7-7-98 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (1) कालोनी विकास की अनुमति के लिए निर्धारित शुल्क रु. (रुपये) नगरपालिक निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत कोष में रसीद क्रमांक दिनांक (सत्यप्रति संलग्न है) द्वारा जमा कर दिये गए हैं ।
- (2) उस भूमि के संबंध में जिस पर कालोनी बसाने हेतु अनुमति माँगी गई है । अधिकार स्वत्व या हित संबंधी प्रमाण देने के आशय से सब-रजिस्ट्रार पंजीयन के प्रमाण पत्र व दस्तावेज की सत्यप्रति ।
- (3) विकसित की जाने वाली भूमि के भू-व्यपवर्तन प्रमाण पत्र की सत्यप्रति ।
- (4) प्रस्तावित विकास मानचित्र ।
- (5) समाज के कमजोर वर्गों के लिए भूखण्ड/भूमि उपलब्ध कराने के लिए नियम-10 अनुसार चयन किए गए विकल्प का ब्यौरा ।
- (6) नियम 1[12] (एक) अनुसार बंधक किए जाने वाले भूखण्डों का ब्यौरा ।
- (7) कालोनी के विकास कार्य पर अनुमानित व्यय पत्रक जो किसी अर्हता प्राप्त इंजीनियर से प्रमाणित हो तथा यथास्थिति नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगरपंचायत के कोष में इस अनुमानित व्यय-पत्रक में अंकित राशि के 2 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने के प्रमाण में रसीद क्रमांक व दिनांक अंकित करते हुए रसीद की सत्य प्रतिलिपि।
- (8) ऋण मुक्तता प्रमाण पत्र ।

मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गए ब्यौरे सही हैं और मैं/हम आपके द्वारा अपेक्षित अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ/हैं/कृपया मुझे/हमें कालोनी बनाने का कार्य हाथ में लेने की अनुमति प्रदान करें ।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप-पाँच

[देखिए नियम 1[(12)]

कालोनी के विकास की अनुमति

दिनांक

अनुमति क्रमांक

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956/छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 और उसके अन्तर्गत, निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, 1[निर्बन्धन] तथा शर्तों) नियम, 1[1998] के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए श्री/श्रीमती/मेसर्स आत्मज निवासी मोहल्ला ग्राम/वार्ड नगर तहसील जिला को. ख क्र. कुल रकबा ग्राम में स्थित आवासीय कालोनी में विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

- (1) 1[शहरी भूमि सीमा अधिनियम], 1976 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा ।
- (2) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा ।

- (3) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
- (4) कमजोर वर्ग के भूखण्डों/भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा।

नगरपालिक आयुक्त
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

[प्ररूप-छः

[नियम-15-ख का उपनियम (1) देखिए]

छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें)
नियम, 1998 के नियम 15-ख के अधीन प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त
करने के लिए आवेदन का प्ररूप

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी

मैं/हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि कृपया, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के अधीन मेरे/हमारे भवन में, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, विद्युत/जलप्रदाय संयोजन अभिप्राप्त करना सुकर बनाने के लिए मुझे/हमें प्रमाण पत्र मंजूर किया जाए—

(एक) आवेदक का नाम

(दो) वर्तमान पता

(तीन) स्थायी पता

(चार) क्या आवेदन व्यक्ति/प्राइवेट कंपनी/सार्वजनिक फर्म या संस्था है,

(पांच) उस दशा में निम्नलिखित कथित करें, यदि आवेदक--

(क) व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता,

(ख) कोई प्रायवेट कम्पनी है तो उसके रजिस्ट्रीकरण क्रमांक के साथ उसके सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता,

(ग) कोई सार्वजनिक कंपनी है तो निदेशकों की राष्ट्रीयता, प्रवर्तन का स्थान और भारतीय नागरिकों द्वारा धारित अंश की प्रतिशतता,

(घ) फर्म या संस्था है तो सभी भागीदारों की राष्ट्रीयता,

(ङ) सोसायटी है तो उसकी पूर्ण विशिष्टियां।

(छः) आवेदक का व्यवसाय या उसके कारबार का स्वरूप,

(सात) उस भवन के जिसमें विद्युत/जलप्रदाय संयोजन अपेक्षित है, ब्यौरे तथा पता

(आठ) संयुक्त हित का स्वरूप, यदि कोई हो।

मैं/हम पुत्र श्री एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं और मैं/हम आपके द्वारा वांछित अन्य ब्यौरे देने को तैयार हूँ/हैं।

भवदीय

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

नाम तथा पता.....

प्ररूप-सात

[नियम 15-ख का उपनियम (1) देखिए]

प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी
के समक्ष फाइल किया जाने वाला शपथ-पत्र

- मैं पुत्र श्री आयु
- वर्ष निवासी एतद्वारा शपथ पर निम्नानुसार प्रतिज्ञान करता हूँ-
1. यह कि मैंने सोसाइटी के नगर में स्थित भूखण्ड क्रमांक पर भवन का सन्निर्माण किया है ।
 2. यह कि उक्त भूखण्ड पर उक्त भवन का (वर्ष) के पूर्व सन्निर्माण पूरा हो गया तथा मैं उक्त भवन का स्वामी हूँ ।
 3. यह कि जिस भूखण्ड पर मैंने भवन का सन्निर्माण किया है, वह छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 172 के अधीन गैर कृषि प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित किया गया है ।
 4. मैं यह जानता हूँ कि वह कालोनी, जिसमें मैंने उक्त भवन का सन्निर्माण किया है, सरकार द्वारा घोषित अवैध कालोनियों की सूची में है । यदि मैं उस संबंध में कोई गलत जानकारी प्रस्तुत करता हूँ तो मैं उसके लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292-घ तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-घ के अधीन उत्तरदायी रहूंगा ।
 5. यह कि मैं सरकार द्वारा भविष्य में इस संबंध में पारित किन्हीं भी आदेशों के अनुपालन और अनुसरण का उत्तरदायित्व लेता हूँ और ऐसे आदेशों की दशा में यदि मेरा विद्युत संयोजन विमुक्त कर दिया जाए तो मैं उसके लिए छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल को उत्तरदायी ठहराए बिना विद्युत संयोजन संस्थापित कराने के लिए तैयार रहूंगा ।
 6. यह कि उक्त भवन किसी सरकारी, अर्द्ध सरकारी या नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत की भूमि पर सन्निर्मित नहीं किया गया है ।
 7. संपत्ति की विशिष्टियां निम्नानुसार हैं--
 1. आवेदक/स्वामी का नाम और उसके पूरे पते सहित
 2. अवैध व्यपवर्तन/अवैध कालोनी के ब्यौरे
 3. स्वामी का नाम, पते सहित
 4. भूमि के ब्यौरे--
 - (क) ग्राम
 - (ख) खसरा क्रमांक
 - (ग) क्षेत्र
 5. कालोनी का नाम
 6. भूखण्ड का क्षेत्र
 7. नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के समझौते की विशिष्टियां
 8. टिप्पणियां

सत्यापन

मैं पुत्र श्री एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि पैरा 1 से 6 तक की विषय वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सत्य हैं तथा आज दिनांक को बजे सत्यापित और हस्ताक्षरित किया गया ।

अभिसाक्षी

प्ररूप आठ

[नियम-15-ख का उप नियम (3) देखिए]

प्रमाण-पत्र

क्रमांक

दिनांक

छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें)

नियम, 1998 के नियम 15-ख के अधीन प्रमाण पत्र

मैं सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि नीचे दिए गए निबंधनों, शर्तों तथा निर्बन्धनों पर भवन में, जिसके ब्यौरे नीचे दिए हैं, विद्युत/जलप्रदाय संयोजक प्रदान करने में लोकहित में कोई आपत्ति नहीं है ।

संपत्ति के ब्यौरे

1. ग्राम
 2. खसरा क्रमांक
 3. क्षेत्र
 4. भूखण्ड/भवन क्रमांक
 5. कालोनी का नाम
 6. भवन के स्वामी का नाम
- निबन्धन, शर्तें तथा निर्बन्धन

स्थान

तारीख

सक्षम प्राधिकारी

निगमित निकाय का नाम

(मुद्रा)

प्ररूप नौ

[नियम-15-ख का उप नियम (5) देखिए]

रजिस्टर का प्ररूप

अनु- क्रमांक	नियम-15-ख (1) के अधीन आवेदन की तारीख	उस व्यक्ति/फर्म, स्वामी/संस्था का पूरा नाम तथा पता जिसने आवेदन दिया है	प्रमाण पत्र की तारीख तथा क्रमांक	निर्बन्धन, निबंधन तथा शर्तें जिनके अधीन प्रमाण पत्र जारी किया गया है	रद्दकरण की तारीख तथा उसके लिए संक्षिप्त कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)